

08/11/24

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजों का
अवलोकन किया गया। पाया अनुपासिता पत्रावली में
उपलब्ध दस्तावेजों से जाहिर होता है कि प्रार्थी के पूर्व
अधिवक्ता द्वारा दिनांक 05/09/2024 को No Instructions
(नोटिस) दिया गया। किंतु प्रार्थी तत्पश्चात् से ही असाफल्य
व्यवहार में जा रहा है। प्रार्थी का दावा है कि न्यायालय -
हाजा में विक्री की प्रार्थना पत्र की निर्धारित पंजी
है। असाफल्य या व्यय उपासिता है। अतः पत्रावली
प्रार्थी की निरंतर अनुपासिता के अर्थ में प्रार्थी के
कार्य की जाती है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली